1	2	3
40	Shri B.F. Kathak	Festival of India in USSR
41	Shri Joseph Monsorate	Do.
42	Shri Anibal Castro	Do.
43	Shri Ashish Dixit	Do.
44	Shri P. Nandgaonkar	Do.
45	Shri S. Chitre	Do.

दिल्ली रोजगार कार्यालय द्वारा बुलावा-पत्र (काल लैटर) जारी न किया जाना

2123. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के क्रमश: कितने कितने बेरोजगार युवकों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक बेरोजगार युवकों को अपना नाम इन रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराए अनेक वर्ष बीत गए हैं और इस समय उनकी सरकारी नौकरी योग्य आयु भी समाप्त हो गई है किन्तु उन्हें इस अवधि के दौरान अब तक एक भी बुलावा-पत्र (कालेलैटर) प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारी कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उपलब्ध सूचना दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों की संख्या से संबंध है जिसके अनुसार 31-12-1987 की स्थिति के अनुसार कुल 7.06 लाख रोजगार चाहने वाले व्यक्ति दर्ज हैं। इन में से 5.63 लाख पुरुष तथा 1.43 लाख महिलायें थीं । तथापि, सभी पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं होते ।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालय सरकारी संगठनों में भर्ती करने के लिए कई अभिकरणों में से केवल एक अभिकरण है । अन्य अभिकरण जैसे कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे सेवा आयोग आदि भी केन्द्र सरकार के संगठनों के लिए भर्ती करते हैं जहां योग्य उम्मीदवारों रोजगार कार्यालयों में अपने पंजीकरण के बिना सीधे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं । समिति वैतनिक रोजगार कार्य-अवसरों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्व:रोजगार के प्रोत्साहन देने के लिए एक एकक स्थापित किया गया है ताकि रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को स्व: रोजगार उद्यम अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके । उनका ध्यान उस दिशा में आकर्षित किया जा सके । सरकार देश से गरीबी तथा बेरोजगारी हटाने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है तथा 7वीं पंचवर्षीय योजना को विकास नीति का केन्द्रीय तत्व उत्पादी रोजगार सृजन करना है । दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्व: रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने की योजना, शहरी गरीबों, के लिए स्व: रोजगार कार्यक्रम जैसी कुछ योजनायें हैं जो रोजगार की प्राप्ति के लिए कार्यान्वित की जा रही है ।